स्वविवेक जिला विकास योजना

परिचय

- राज्य में क्षेत्र के विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने, रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 में स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गई हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पतियों एवं आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- यह राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।
- इस योजनान्तर्गत जिला कलक्टर्स द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता, जन आकांक्षाओं एवं आपाताकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- इस प्रकार इस योजनान्तर्गत एक तरफ आपात कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये जिला कलक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी तरफ क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियां एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियां सृजित हो सकेंगी।
- योजना के फलस्वरूप क्षेत्र के विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी।
- स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत बाढ/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 533.14 लाख रूपये का व्यय कर 178 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 889.28 लाख रूपये व्यय कर 371 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।